न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज करेड़ा (भीलवाड़ा) 337/17 डी.पुत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1/12/17 पत्रावली न्यायालय उपखंड अधिकारी मांडल से मुतअल्लिक होकर [illegible] प्रकरण पर पक्षकारान के अधिवक्ता को [illegible] बार एतोसियेशन के सूचित करें। पत्रावली दिनांक 15/1/18 को वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (भीलवाड़ा)

16/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकील के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से बहिन पर मिले विनोद त्रिवेदी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 9/4/18 को पेश हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

9/4/18 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अधिकारम पर है/पदस्थित है अतः पत्रावली दिनांक 21/5/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

21.05.18 पत्रावली मु. करेड़ा राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत होने पूर्व में न्यायालय [illegible] द्वारा गुरुवालगढ़ पेश पेश किए जाने से प्रकरण में प्रार्थी को सुना गया। प्रकरण में बहस निगत होने से विपक्षी द्वारा कथन किया गया कि उसके [illegible] प्रस्तुत जवाब को ही बहस माना जावें एवं गुणावगुण के आधार पर प्रार्थना पत्र U/S 212 R.T. Act को निर्णित किया जावें। [illegible] अग्रपक्ष को सुना। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसकी ताईद में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। मूल वाद राजस्व अपील संपत्ति को लेकर है। जिसमें स्वत्व का निर्धारण होना है।

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पवेंन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) 337/17 आदेश या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

है।

अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र U/s 212 R.T. Act स्वीकार किए जाने के आदेश दिए जाते है। वादग्रस्त भूमि की रेकार्ड के अनुसार यथा स्थिति कायमी के आदेश प्रदान किए जाते है।

यह आदेश मूलवाद के निस्तारण होने तक प्रभाव में रहेगा।

आदेश

मौजा एवं पटवार हल्का शीवपुर स्थित आराजी नं. 4256/3038 रकबा 2.00 बीघा भूमि की रेकार्ड में यथा स्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पवेंन
सहायक कलक्टर करेड़ा

11.6.18 पत्रावली मुकाम शीवपुर राजस्व लोक अदालत में मूलवाद के साथ प्रस्तुत है। मूल राजस्व वाद संख्या 110/2017 निष्पादित होकर वाद पत्र स्वीकार किए जाने से इस प्रार्थना पत्र प्रकरण को जीवित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः पत्रावली को सलटाया रहे। निर्णय सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पवेंन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner